राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
1854 / 15(48 / 13)	01.01.2015(29.04.2023)	19.03.2024

उनवानः

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री नत्थुराम जाति चमार निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र श्री नत्थसिंह जाति धानक निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. हंसराज पुत्र श्री नत्थसिंह जाति धानक निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. सरदारली बेवा श्री नत्थसिंह जाति धानक निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक महोदय नीमराना
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड राज0
6. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार साब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक बजरिये दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :– श्री जितेन्द्र सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। निर्णय ।।

वादी द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 40 रकबा 29 एयर वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना मे स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 1618 / 1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा से कायम हुऐ है जिसका खातेदार वादी है। खसरा नम्बर हाल 9 रकबा 51 एयर वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना मे स्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 1589 / 1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा से कायम हुये है। जिसका खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 का पति / पिता नत्थूसिंह जाति धानक है जो फौत हो चुका है जिनके जायज वारिसान प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 उक्त आराजी पर काबिज मालिक है। वादी को राज्य सरकार द्वारा भूमीहीन व गरीब होने के कारण कृषि हेतु खसरा नम्बर 1618 / 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमी दिनांक 28.06.76 को अलाट की गई थी और मौके पर उक्त भूमी नापकर उस पर वादी को कब्जा दिया गया था और पट्टा जारी किया गया था। वक्त अलाटमेन्ट से वादी आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हूँ। तथा मिन वादी के साथ ही प्रतिवादीगण के पति / पिता नत्थूसिंह पुत्र श्री देवीसिंह को भी कृषि हेतु साबिक खसरा नम्बर 1589 / 1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि अलाट की गई थी। जो भूमि मौके पर नापकर अलाटी को कब्जा दिया गया था जिस पर आज तक अलाट व उसके बाद प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 काबिज है। लेकिन बन्दोबस्त संवत 2042 मे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने मिन वादी के साबिक खसरा नम्बर का नया नम्बर 40 कायम कर, बिना मौका एवं साबिक रिकार्ड की जांच किये ही 09 एयर रकबा कम करते हुऐ 29 एयर दर्ज कर दिया गया तथा इसी अनुसार प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर का नया नम्बर 9 कायम कर उसका रकबा साबिक रकबा से 13 एयर बढाते हुऐ 51 एयर दर्ज कर दिया गया। जिसमे 09 एयर रकबा वादी की आराजी का शामिल किया हुआ है। मौके पर मिन वादी व प्रतिवादीगण की आराजी का रकबा साबिक रकबा के मुताबिक पूरा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड मे मिन वादी की

आराजी का 09 एयर रकबा कम कर उसे प्रतिवादीगण की आराजी मे बैजा तोर पर शामिल कर दिया गया । जो मिन वादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है ऐसी सूरत मे प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 09 मे से रकबा कम किया जाकर उसे मिन वादी के खसरा नम्बर 40 मे शामिल किया जाकर उसका रकबा 29 एयर के स्थान पर 38 एयर दर्ज किया जाने की घोषणा फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये बाद तामिल प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से श्री हवासिंह यादव ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 5 लगा0 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जवाब दावा पेश करने के बार–बार अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नही करने पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 स्वंय वादी कन्हैयालाल का तथा पी.ड.–2 दयानन्द पुत्र नत्थूराम, पी.ड.–3 शंकरलाल पुत्र नत्थूराम के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–11 पेश किये गये ।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को काफी अवसर दिये जाने पर भी वादी के गवाहो से जिरह नही की गई। वकील प्रतिवादी की जिरह बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये। पत्रावली वास्त बहस नियत की गई।

वकील वादी अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ, वादी का वाद डिक्री किया जाने की अपील की गई।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 1589/1 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा था जिसका नया नम्बर 9 रकबा 0.51 है0 कायम किया गया है। जबकि साबिक रकबा के मुताबिक 38 एयर अंकित होना चाहिऐ था और वादी के साबिक खसरा नम्बर 1618/1 रकबा 1 बिघा 10 विस्वा से भी कायम नया नम्बर 40 का रकबा 0.38 है0 होना चाहिऐ था। लेकिन राजस्व हाल रिकार्ड मे खसरा नम्बर 40 का रकबा 29 एयर व खसरा नम्बर 9 का रकबा 51 एयर दर्ज है। जिससे वादी के खसरा नम्बर का 09 एयर रकबा कम दर्ज है तथा प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर का 13 एयर रकबा अधिक दर्ज है। जबकि मौके दोनो खसरा नम्बरान का रकबा समान बनाया गया है। वादी ने प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 9 मे से 09 एयर रकबा कम कर उसे अपने खसरा नम्बर मे शामिल कर रकबा दुरूस्त करवाने बाबत यह दावा पेश किया गया है। जिसके मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण की आराजी का रकबा बढा हुआ है और वादी की आराजी का रकबा घटाया हुआ है। जो गलती बन्दोबस्त संवत 2042 के दौरान किया जाना साबित पाया जाता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद साबित पाया जाने के कारण डिक्री होने योग्य है।

।। आदेश ।।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 9 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना मे से 09 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा 0.51 है0 के स्थान पर 0.42 है0 दर्ज किया जावे तथा उक्त 09 एयर भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाता

और उसे वादी के खसरा नम्बर 40 वाके ग्राम फौलादपुर मे शामिल किया जाकर उसका रकबा 0.29 है0 के स्थान पर 0.38 है0 दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात एवं हाल राजस्व नक्शा मे दुरुस्ती किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19.03.2024

पंकज बडगूजर
(उपखण्ड) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

पर्चा डिक्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
1854 / 15(48 / 13)	01.01.2015(29.04.2023)	19.03.2024

उनवानः

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री नत्थुराम जाति चमार निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र श्री नत्थसिंह जाति धानक निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. हंसराज पुत्र श्री नत्थसिंह जाति धानक निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. सरदारली बेवा श्री नत्थसिंह जाति धानक निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक महोदय नीमराना
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड राज0
6. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार साब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक बजरिये दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :– श्री जितेन्द्र सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 9 रकबा 0.51 है0 वाके ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना मे से 09 एयर रकबा कम किया जाकर उसका रकबा 0.51 है0 के स्थान पर 0.42 है0 दर्ज किया जावे तथा उक्त 09 एयर भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाता और उसे वादी के खसरा नम्बर 40 वाके ग्राम फौलादपुर मे शामिल किया जाकर उसका रकबा 0.29 है0 के स्थान पर 0.38 है0 दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात एवं हाल राजस्व नक्शा मे दुरूस्ती किया जाने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.03.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

19-03-2024

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)